



## झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

T.A Division Building (Ground Floor) HEC Campus, Dhurwa, Ranchi- 834004.  
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, Fax No:- 2400850..

### आवश्यक सूचना

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, राँची की 24वीं बैठक, दिनांक 22.05.2012 में लिये गये निर्णयानुसार पर्षद् की अधिसूचना संख्या-15 दिनांक 14.07.2012 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17(जी) के अर्न्तगत झारखण्ड राज्य में अवस्थित आयरन ओर क्रशर इकाईयों के लिये स्टैक उत्सर्जन एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन के मानक निर्धारित किये गये हैं।

परिवेशीय वायु में निलम्बित धूलकण (एस0पी0एम0) का मानक प्रक्रिया उपकरणों से 10 मी0 (±1 मी0) की दूरी पर अधिकतम 500 माइक्रोग्राम/घन मीटर एवं स्टैक उत्सर्जन में धूलकण का मानक 150 मि0ग्राम0/नार्मल घन मीटर निर्धारित किया गया है। प्राइमरी एवं सेकन्डरी क्रशर के लिये प्रदूषण नियंत्रण तकनीक का विवरण, इत्यादि पर्षद् की वेबसाइट [www.jspcb.org](http://www.jspcb.org) पर देखा जा सकता है।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या WP (C) No.3277 of 2011-सर्वश्री राम मेटालिक एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 03/02.07.2012 को पारित आदेश के आलोक में सभी आयरन ओर क्रशर, जिन्हें झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा पूर्व में एन0ओ0सी प्रदत्त है और वर्तमान में प्रभावी है, को पर्षद् में अपने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना हेतु डिजाईन समर्पित करना है और पर्षद् द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के डिजाईन के अनुमोदन की तिथि से दो माह के अन्दर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना करनी है।

वैसे आयरन ओर क्रशर इकाई जिन्हें पर्षद् से Valid एन0ओ0सी0 प्राप्त नहीं है, उन्हें प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपकरण स्थापित करने की कार्रवाई नहीं करनी है, न ही इस प्रकार के किसी डिजाईन का अनुमोदन पर्षद् के द्वारा किया जाएगा। ऐसी इकाईयों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के सुसंगत प्रावधानों के अर्न्तगत परिचालन हेतु सहमति प्रदान नहीं की जाएगी।

  
(एस०के०सिन्हा)  
सदस्य सचिव

29/9